संख्या-2-2026-डीएफए-1425887-38-7002-002-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 07-03-2026

विषय:- सामग्री मद में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से पूर्व आवंटित बजट रू0 14,37,01,38,666.00 को घटाए जाने के क्रम में अलॉटमेंट पोर्टल पर धनराशि रू0 533,33,33,333.00 की माइनस पोस्टिंग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-301/मनरेगा/पत्रासं0-281/2025-26, दिनांक 09-02-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सामग्री मद में बजट में की गई कमी के सापेक्ष धनराशि रू0533,33,33,333.00 की **माइनस पोस्टिंग** अलॉटमेंट पोर्टल पर किए जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में 75% केंद्रांश के रूप में धनराशि रू0 1,077,76,04,000.00 दिनांक 14.11.2025 को अवमुक्त की गई थी, जिसके क्रम में शासन के पत्र पत्र

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-20-2025-डीएफए/1309383-002/38-7002(002)/1/2024, दिनांक 04.12.2025 के माध्यम से 25 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0359,25,34,666.00 सम्मिलित करते हुए कुल रू0 1437,01,38,666.00 स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्तमान में निर्गत नवीन Mother Sanction के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 75% केंद्रांश के रूप में धनराशि रू0 677,76,04,000.00 अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष 25% राज्यांश की धनराशि रू0 225,92,01,333.00 आंकलित होती है। इस प्रकार केंद्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करने पर कुल स्वीकृत धनराशि रू0 903,68,05,333.00 होती है, जो कि शासन द्वारा दिनांक 04.12.2025 को पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 1437,01,38,666.00 से रू0 5,33,33,33,333.00 कम है, जिसको अलॉटमेंट पोर्टल से घटाए जाने की आवश्यकता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- जे-14037/03/2025- आरई-I(391315) (एसआई.नं0-56), दिनांक: 02-02-2026 द्वारा सामग्री मद में प्रथम भाग की द्वितीय किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 677,76,04,000/-(रूपये छह अरब सत्ततर करोड़ छियत्तर लाख चार हजार मात्र) के संगत 1/3 राज्यांश की धनराशि रू0 2,25,92,01,333/-(रूपये दो अरब पच्चीस करोड़ बानवे लाख एक हजार तीन सौ तैंतीस) अर्थात कुल धनराशि रू0 9,03,68,05,333/-(रूपये नौ अरब तीन करोड़ अड़सठ लाख पांच हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की शासनादेश संख्या-20-2025-डीएफए-1309383-002-38-7002-1-2024, दिनांक 04-12-2025 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-20-2025-डीएफए/1309383-002/38-7002(002)/1/2024, दिनांक 04.12.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-2-2026-डीएफए- 1425887-38-7002-002-1-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री सुमन मजूमदार, उप सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त,), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-8
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र दीक्षित

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in